

# प्रेस नोट

24.04.2021

**210 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब व बनाने के अन्य उपकरण तथा 115 शीशी अवैध देशी शराब के साथ कुल 04 गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुबन पुलिस द्वारा धर्मपुर विसूनपुर के पास से 210 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के अन्य उपकरण 03 किलों यूरिया, 500 ग्राम नौसादर, 500 ग्राम फिटकरी तथा 04 किलों नमक बरामद किया गया जबकि आरोपी भाग गया। थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा आदर्श आचार संहिता का उलंघन कर एक सेन्द्रों कार से शराब ले जाते सुनील सिंह पुत्र स्व० घूवनारायण सिंह, अनुराग यादव पुत्र बब्बन यादव, गिरीकान्त विश्वकर्मा पुत्र प्रमोद विश्वकर्मा निवासीगण पिन्डोहरी थाना हलधरपुर जनपद मऊ तीनों के कब्जे से कुल 90 शीशी (200 एमएल) देशी शराब लैला बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर धारा 171 इ आइपीसी तथा धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा कार को अन्तर्गत एमवी एक्ट सीज किया गया। थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा कोइरियापार से अजीत मौर्या पुत्र गोवर्धन मौर्या निवासी कोइरियापार थाना मुहम्मदाबाद के कब्जे से 25 शीशी देशी शराब बन्टी-बबली बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**एक जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार—**

आज दिनांक 24.04.2021 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मधुबन मोड़ के पास से एक जिलाबदर अपराधी रूपेश उर्फ रूकेश पुत्र बसंत निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 240/21 धारा 10 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार—**

आज दिनांक 24.04.2021 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कहिनौर के पास से करन भारती पुत्र राजेन्द्र भारती निवासी घोडा दलाल की बस्ती थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 181/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

आज दिनांक 24.04.2021 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रोडवेज के पास से मु०अ०सं० 62/21 धारा 323,308 भादवि० में वांछित अभियुक्त अभिजित सिंह उर्फ सन्नी पुत्र लल्लन निवासी इटैली कुडसर थाना हलधरपुर तथा बन्धा रोड़ के पास से मु०अ०सं० 118/21 धारा 354घ,506 भादवि० में वांछित अभियुक्त विनय पुत्र नन्हड निवासी पठानटोला थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।